कार्यालय खेल अधिकारी, खेल एवं युवा कल्याण, जिला–कबीरधाम, (छ0ग0)

:: निविदा आमंत्रण ::

क्रमांक / खे.यु.क. / कर्धा / भण्डार / 159 / 2017–18 कवर्धा, दिनांक 28 / 8 / 2017

जिले के खिलाड़ियो को खेल सुविधा उपलब्ध कराने के लिये बी.आर.जी.एफ. मद से जीम सामग्री क्रय हेतु सामग्री के अधिकृत डीलर से दिनांक 11.09.2017 को अपरान्ह 03:00 बजें तक कार्यालय खेल एवं युवा कल्याण कबीरधाम में, निविदा आमंत्रित किया जाता है। निविदा का प्रपत्र एवं सामग्री क्रय से संबंधित समस्त जानकारी व शर्तें, एन.आई.सी. कबीरधाम के वेबसाइड WWW.kawardha.gov.in से डाउनलोड कर अथवा कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। निविदा उसी दिवस अपरान्ह 04:00 बजें खोला जायेगा। आवेदन शुल्क रूपये 1000 / – एवं सुरक्षा निधि रूपये 27,000 / – देय होगा।

खेल अधिकारी
जिला खेल एवं युवा कल्याण
जिला कबीरधाम (छ0ग0)

कार्यालय खेल अधिकारी, खेल एवं युवा कल्याण, जिला–कबीरधाम, (छ0ग0)

क्रमांक / खे.यु.क. / भण्डार /   / 2017–18   कवर्धा, दिनांक–   /   / 2017

<u>निविदा आमंत्रण</u>

जिले के खिलाड़ियो को खेल सुविधा उपलब्ध कराने के लिये जीम सामग्री क्रय हेतु सामग्री के निर्माता या व्यापार चिन्ह धारक से दिनांक 11.09.2017 को अपरान्ह 3:00 बजें तक निविदा आमंत्रित किया जाता है।

निविदा हेतु नियम व शर्तेः–

---

1. निविदा प्रपत्र शुल्क 1000,00 नगद जमा कर खेल एवं युवा कल्याण शाखा कबीरधाम से प्राप्त किया जा सकता है। ऑन लाईन निविदा फार्म भरने वाले आवेदक आवेदन शुल्क का ड्राफ्ट आवेदन के साथ संलग्न कर सकते है।
2. निविदा प्रपत्र NIC कबीरधाम के वेब साइड WWW.Kawardha.gov.in से डाउन लोड कर प्राप्त किया जा सकता है।
3. निविदा प्रपत्र दिनांक 11.09.2017 को अपरान्ह बजे 3:00 बजे तक खेल अधिकारी एवं युवा कल्याण परिवहन कार्यालय के ऊपर कबीरधाम में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। निविदा उसी तिथि को अपरान्ह 4:00 बजें खोला जायेगा।
4. निविदा प्रपत्र पत्रता से संबंधित जानकारी लिफाफा A में प्रस्तुत करना होगा तथा दर सूची लिफाफा B में प्रस्तुत करना होगा।
5. लिफाफा A खोलकर विक्रेता फर्म के पात्रता की जॉच उपरान्त सही पाये जाने पर ही लिफाफा B मूल्य सूची खोला जायेगा।
6. सुरक्षा निधि की राशि रूपये 27,000 का बैंक ड्रफ्ट / बैकर्स चेक जिला खेल अधिकारी कबीरधाम के पक्ष में तैयार कर लिफाफा A में प्रस्तुत कराना अनिवार्य होगा। निविदा पारित होने की स्थिति में सामग्री स्थापित होने की तिथि से आगामी एक वर्ष तक मेन्टेनेंस निःशुल्क करना होगा। एवं एक वर्ष पश्चात सुरक्षा निधि वापस की जा सकेगी।
7. निविदाकार / कम्पनी / फर्म का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तथा वाणिज्य कर चुकता प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8. अधिकृत डीलर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
9. संबंधित फर्म / निविदाकार / कम्पनी के पेन कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
10. निविदाकार / फर्म / कम्पनी का विगत तीन वर्षो के आयकर रिटर्न कि छायाप्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

11. फर्म/कम्पनी को निर्धारित समय में निर्धारित मापदण्ड एवं संख्या के अनुरूप सामग्री प्रदाय करनी होगी। सामग्री समयावधि में प्रदाय न होने की स्थिति में सामग्री यदि अन्यत्र से व्यवस्था करनी पडे तो लगने वाली अधिक राशि निविदाकार द्वारा प्रस्तुत सुरक्षा निधि से वसूल की जाएगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व निविदाकार का होगा।

12. समग्री प्रदाय में विलम्ब सामग्री का आंशिक प्रदाय करने पर सामग्री की घटिया क्वालिटी होने पर या सामग्री के संबंध में किसी अन्य प्रकार की शिकायत होने पर सुरक्षा निधि से वसूली/सामग्री जब्त करने संबंधी/कोई अन्य कार्यवाही करने संबंधी पूर्ण अधिकार क्रय समिति को होगा।

13. निविदा संबंधी विधिक प्रकरण कबीरधाम स्थित न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होगा।

14. निविदा निरस्त करने का अधिकार क्रय समिति के सदस्यो को होगा।

15. सामग्री प्रदाय से संबंधित देयक प्राप्त होने के पश्चात तत्संबंधी भुगतान शासन के नियमों के तहत किया जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम के प्रावधान लागू होंगे।

16. प्रत्येक निविदाकार को खेल सामग्री का नमूना प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त सामग्री में ट्रेडमार्क या निर्माता कम्पनी का लोगो लगा होना अनिवार्य होगा।

17. क्रय की जाने वाली सामग्री की सूची आवेदन के साथ संलग्न करें।

18. सशर्त निविदा स्वीकार नही की जाएगी। निविदा की दरें अंकों एवं शब्दों में लिखा जावे। यदि अंको एवं शब्दो में दरें भिन्न हो तो, जो भी दर कम होगी वहीं मान्य होगी।

19. निविदा खोलते समय निविदाकार या इसके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकेगें। प्रतिनिधि को अधिकार पत्र लाना होगा।

20. निविदा प्रपत्र एवं प्रपत्र के साथ संलग्न प्रस्तुत किये गए समस्त दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकार के हस्ताक्षर होने चाहिए।

21. विलम्ब से प्राप्त अस्पष्ट, सशर्त, अपूर्ण लिखावट में कांट–छांट या उपरिलेखन, शब्दों एवं अंकों में लिखे गए मूल्य में भिन्नता आदि के आधार पर निविदा निरस्त की जा सकेगी।

22. निविदा दर के साथ लगने वाले समस्त टेक्स का उल्लेख पृथक से करना होगा।

23. कलेक्टर कबीरधाम निविदा स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी होंगे। अतः निविदा को स्वीकृत या अस्वीकृत करने के संबंध में उनका निर्णय अंतिम होगा। उन्हें किसी भी निविदा को बिना कारण बताए अस्वीकृत करने का अधिकार होगा।

संलग्न निविदा प्रपत्रः– A व B

खेल अधिकारी
जिला खेल एवं युवा कल्याण
जिला कबीरधाम (छ0ग0)